न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2023 FSSA

1.सरकार जरिये डॉ मदन लाल गूजर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

– आवेदक–

बनाम

1.श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकल्याण शर्मा निवासी होदयाली पोस्ट बिशनपुरा जिला दौसा।

– अभियुक्त–

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति :श्री डॉ मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

:अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

–::आदेश::–

दिनांकः–09.02.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 13.02.2023 को समय 07.11 ए.एम पर इन्दिरा कॉलोनी दौसा वास्ते दूध विक्रेताओ के दूध निरीक्षणार्थ पर पहुँचा वहाँ पर दूध विक्रेता श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकल्याण शर्मा निवासी होदयाली पोस्ट बिशनपुरा जिला दौसा आम जनता व कॉलोनी वासियों को दूध विक्रय करने हेतु अपनी मोटर साइकिल हीरो होन्डा नं० RJ-29 SJ 0317 पर दूध विक्रय करने हेतु आये हुये को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर ऑनलाइन आवेदन करना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री विनोद कुमार शर्मा की उपस्थित मोटर साइकिल पर लटके हुये दूध से भरे ड्रमों का निरीक्षण करने पर पाया कि एक लोहे के ड्रम में लगभग 20 लीटर दूध, एक प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 5–6 लीटर तथा 1 स्टील केन में लगभग 3 लीटर दूध आम जनता को विक्रय करने हेतु भरा हुआ था। स्टील के केन में भरे हुये दूध के बारे श्री विनोद कुमार को पूछने पर श्री विनोद कुमार ने बताया कि यह भैस का दूध है और दोनो ड्रम में भरा दूध मिश्रित दूध है। स्टील के केन में भरे हुये दूध का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री विनोद कुमार को फार्म 5ए की सूचना देते हुए श्री विनोद कुमार व गवाहान के फॉर्म 5ए पर हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा फॉर्म 5ए की एक प्रति विकेता श्री विनोद कुमार को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह भैंस का दूध खुला (Buffalo Milk Loose) को वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय कर रहा है। स्टील केन में भरे भैंस का दूध को प्लेन्जर से हिलामिला कर एक रूप कर दूध मापक से 500–500 मिली कुल मात्रा 2.0 लीटर नपवाकर 4 साफ व सुखी प्लास्टिक कर सकडे मुँह की बोतलों में भरकर वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री विनोद कुमार को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 140 रू. अक्षरे (एक सौ चालीस रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा भैंस का दूध खुला(Buffalo Milk Loose) की चारो बोतलो में 40–40 बूंदे 37–40 प्रतिशत वाली फार्मेलीन की बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयर टाइट बंद किया एवं प्रत्येक बोतल को पुनः हिला मिलाकर दूध को एकरुप किया एवं नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. वी कोड एवं कमांक AG-3181 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर श्री विनोद कुमार

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. AG–3181 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गौंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विनोद कुमार ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूना का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को दिनांक 14.02.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को दिनांक 18.02.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1143 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल० एस०/124/एक्ट/2023/146 दिनांक 24.02.2023 के अनुसार दूध विक्रेता श्री विनोद कुमार शर्मा से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया भैंस का दूध खुला (Buffalo Milk Loose), एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(ZX) का उल्लघंन करने के कारण अमानक (Substsndard) स्तर का पाया गया है। जो कि एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) उल्लघंन है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. की धारा 51 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ भैंस का दूध खुला (Buffalo Milk Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल० एस०/124/एक्ट/2023/146 दिनांक 24.02.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ भैंस का दूध खुला (Buffalo Milk Loose) के नमूने की जांच में B.R. Reading of extracted fat at 40°C Results 44.9 आयी है जो निर्धारित मानकों के अनुसार 40.0 से 43.0 तक होनी चाहिए। इस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ भैंस का दूध खुला (Buffalo Milk Loose) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (Substandard) स्तर के खाद्य पदार्थ भैंस का दूध खुला (Buffalo Milk Loose) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 3(1)(ZX) का उल्लंघन किया है। अतः धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपनी मोटर साइकिल से दौसा शहर में कालोनी वासियों को दूध विक्रय करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेरे स्टील केन में भरे भैंस का

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा।

Scanned with OKEN Scanner

दूध को प्लेन्जर से हिलामिला कर एकरूप कर दूध मापक से 500–500 मिली कुल मात्रा 2.0 लीटर वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु खरीदा। प्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ का अमानक स्तर के होने की जानकारी नही थी। प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल० एस०/124/एक्ट/2023/146 दिनांक 24.02.2023 के अनुसार भैंस का दूध खुला (Buffalo Milk Loose) का नमूना अमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। उक्त नमूना निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए 2006 की धारा 3(1)(ZX) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ भैंस का दूध खुला (Buffalo Milk Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकल्याण शर्मा निवासी होदयाली पोस्ट बिशनपुरा जिला दौसा(राज0) पर 20,000/–रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 09.02.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

दिनांक:– 09.02.2026

क्रमांक: FSSA/26/ 29-31

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकल्याण शर्मा निवासी होदयाली पोस्ट बिशनपुरा जिला दौसा।

9/2/2026

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner